पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-उर्दू अनुवादक (131)भाग-3// 2021-22// 4761 //वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 10 ~~दिसम्बर~~, 2022 जनवरी

1-समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक,
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

**विषय:-उर्दू अनुवादक संवर्ग के कार्मिकों को 26 वर्ष की सेवा पर देय तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि कुछ जोनों/सम्भागों द्वारा उर्दू अनुवादकों को 26 वर्षीय तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय है अथवा नहीं ? के सम्बन्ध में मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में एडीशनल कमिश्नर(लेखा) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ने पत्र संख्या-आ0सं0/विविध/2021-22/756/वाणिज्य कर दिनांक 21.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि उर्दू अनुवादक संवर्ग में समयबद्ध आधार पर (12 वर्ष, 15 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा) प्रोन्नति की विशिष्ट व्यवस्था लागू है। शासनादेश संख्या-773 दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-1(12) के अनुसार,"किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था एक साथ लागू नहीं होगी।" उर्दू अनुवादक संवर्ग के कार्मिकों को प्रथम एवं द्वितीय ए0सी0पी0 लाभ भिन्न सेवा अवधि से दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1/तीन/2011-का0-04-2015 दिनांक 15.05.2015 निर्गत है। उक्त शासनादेश में 26 वर्षीय ए0सी0पी0 का प्राविधान वर्णित नहीं है।

अत: उर्दू अनुवादक संवर्ग के कार्मिकों को शासनादेश संख्या-773 दिनांक 05.11.2014 के प्रस्तर-1(12) एवं कार्मिक अनुभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 15.05.2015 के अनुसार 26 वर्षीय ए0सी0पी0 की देयता नहीं बन रही है। अग्रेतर शासन द्वारा कोई निर्णय लिए जाने या निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत निर्देश दिये जाते है कि शासनादेश संख्या-773 दिनांक 05.11.2014 के अन्तर्गत उर्दू अनुवादक संवर्ग में 26 वर्षीय ए0सी0पी0 के प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही की जाय तथा यदि किसी कार्मिक को लाभ प्रदान किया गया है, तो तत्काल उस आदेश को संशोधित करते हुए अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
प्रभार- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।**

**प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- पटल प्रभारी स्था-5क, 5क(पूर्व मनोरंजन कर) स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।